>

Title: Situation arising due to pendency of cases in Courts.

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, देश भर में ढाई करोड़ से अधिक मुकदमे फैसले की बाट जोह रहे हैं। इस कारण देश में कितने परिवार परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 साल के बाद भी मुकदमे का फैसला नहीं हो पाया है। एक महिला ने 37 वर्ष जेल में गुजारते हुए वहीं दम तोड़ दिया लेकिन मुकदमा लंबित ही है। यह न्यायिक प्रक्रिया तो अपने देश में है। लोगों का अब भरोसा ही उठने लगा है कि उन्हें समय से न्याय भी मिल सकता है या नहीं? लोगों का न्यायालय से मोह भंग हो रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक बात है। विधि आयोग की सिफारिश का पालन नहीं हो रहा है ताकि जजों के रिक्त स्थानों को भरा जाए और संख्या पांच गुना की जाए। एक समस्या और भी है कि पीआईएल एवं अन्य मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और न्यायालय भी इसमें दिलचस्पी लेता है क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित होते हैं। पूरे एक दिन में सिर्फ पीआईएल ही न्यायालय का समय ले लेता है और सैकड़ों अन्य लंबित मामले लटकते चले जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार कर अविलम्ब कदम उठाने चाहिए।